

पत्रांक :-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0)..... /

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक /

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची एवं नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पालमू अंतर्गत वाई0 एस0 एन0 महिला महाविद्यालय, पलामू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हेतु कार्यशाला के लिए रू0 3,91,000/- (तीन लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग - 1. संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची का पत्रांक SXC/P-92-HRD/2023 दिनांक 25.07.2023
2. वाई0 एस0 एन0 महिला महाविद्यालय, पलामू का पत्रांक 606/2023 दिनांक 07.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 18.09.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची एवं नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पालमू अंतर्गत वाई0 एस0 एन0 महिला महाविद्यालय, पलामू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हेतु कार्यशाला के लिए रू0 3,91,000/- (तीन लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है।

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	विपत्र कोड	राशि
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची	21S220203796BS010679	2,80,000/-
2	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पालमू	वाई0 एस0 एन0 महिला महाविद्यालय, पलामू	21S220203102BS010679	1,11,000/-
		कुल योग -		3,91,000/-

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102/796 -विश्वविद्यालयों को सहायता/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थान हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203102BS010679, 21S220203796BS010679) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। विश्वविद्यालयों से उक्त स्कीम हेतु राशि की अधियाचना प्राप्त होने पर सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेंगे।

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय अपने स्तर से नियमानुसार जाँच करते हुये संतुष्ट होने के उपरान्त ही संबंधित महाविद्यालयों को राशि की विमुक्ति किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 18.09.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-...../2023

प्रतिलिपि -महालेखाकार, हिनू, रॉची, झारखण्ड/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0) 232/904 /रॉची, दिनांक- 03/10/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO1-15/2017/232/BUDGET

दिनांक - 03-Oct-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS010679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) State Scheme	55273	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	111,000.00 रुपये एक लाख ग्यारह हजार
	State Scheme : FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND Central Scheme : SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)			
2	S 21 220203796BS010679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) State Scheme	55274	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	280,000.00 रुपये दो लाख अस्सी हजार
	State Scheme : FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND Central Scheme : SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)			

योग: रुपये तीन लाख इनकानवे हजार

391,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR